भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1233
उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

तमिलनाडु के केंद्रीय विद्यालयों में तमिल भाषा का कोई शिक्षक न होना

1233. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में तमिल भाषा का कोई भी स्थायी शिक्षक नियुक्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इतनी बड़ी विसंगति के क्या कारण हैं, खासकर तब जब कथित तौर पर एक ही स्कूल में 86 स्थायी हिंदी शिक्षक और 65 स्थायी संस्कृत शिक्षक तैनात हैं;

(ग) क्या सरकार इस असंतुलन को भाषाई समानता और तमिलभाषी छात्रों के अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन मानती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा तमिलनाडु में केंद्रीय विद्यालयों में स्थायी तमिलभाषा शिक्षकों की तत्काल भर्ती सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार देश के केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में क्षेत्रीय भाषाओं, विशेषकर तमिल, का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति बनाएगी?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) केंद्रीय विद्यालय (केवि) मुख्य रूप से उन छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं जो विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे हैं। इसलिए, केवि में संचार और शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी है। 'निर्दिष्ट श्रेणी' के विद्यालय होने के नाते, केवि को देश भर में केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। तदनुसार, केवि में भाषा शिक्षकों के संस्वीकृत पद हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के लिए हैं।

तथापि, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) की शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 112 में क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षण का प्रावधान है, जिसके तहत क्षेत्रीय भाषा/मातृभाषा पढ़ाने की अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है, बशर्ते 15 या उससे अधिक छात्र इसे चुनने के इच्छुक हों। इसके लिए अंशकालिक संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है।

इसके अतिरिक्त, केवि के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) द्वारा अनुमोदित अनुसार, सभी केवि को निर्देश दिया गया है कि वे आधारभूत और प्रारंभिक चरणों में बच्चों की सहायता के लिए आवश्यकता के आधार पर स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करें, विशेषकर तब जब उन्हें हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ाई गई अवधारणाओं को समझने में कठिनाई हो।

केविसं से प्राप्त सूचना के अनुसार, तमिलनाडु के 46 में से 40 केंद्रीय विद्यालयों में तमिल भाषा, तमिल वर्चुअल अकादमी (टीवीए), जो तमिलनाडु सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, के माध्यम से पढ़ाई जाती है। इसके अलावा, 31 केंद्रीय विद्यालयों में तमिल भाषा को प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाने के लिए संविदा आधार पर शिक्षक भी नियुक्त किए गए हैं।

(ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 तमिल सहित सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। एनईपी 2020, जहाँ तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 तक, शिक्षण का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा रखने का प्रावधान करती है। नीति में घरेलू भाषा/मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने और शिक्षकों को शिक्षण के दौरान द्विभाषी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान है।

भारत सरकार ने चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी) नामक एक अलग संस्थान की स्थापना की है जो शास्त्रीय तमिल के विकास और संवर्धन के लिए कार्य करता है। सीआईसीटी शास्त्रीय तमिल के संवर्धन और विकास के लिए सेमिनार, कार्यशालाएँ, अल्पकालिक परियोजनाएँ और तिरुक्कुरल का अनुसूचित भाषाओं तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद आयोजित करता है। सीआईसीटी उपलब्ध 41 तमिल शास्त्रीय ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में शास्त्रीय तमिल अनुवाद को

बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। सीआईसीटी ने 41 शास्त्रीय ग्रंथों का ब्रेल लिपि में रूपांतरण किया है जिससे दृष्टिबाधित लोग प्राचीन तमिल साहित्य का अनुभव कर सकें। सीआईसीटी ने एनसीईआरटी के सहकार्यता से तमिल भाषा के प्रचार के लिए पीएम ई-विद्या तमिल चैनल शुरू किया है।

*****